50 Years of The Passports Act, 1967

A passport is about a journey. The image of a blue passport flashes in one's mind when someone dreams of a voyage to a foreign land. This was not the case in India until the beginning of the 20th century, though our forefathers had travelled far and wide over centuries.

The use of the British Indian passport was discontinued after the independence of India in 1947. At the time of independence in 1947, the number of passports issued was around 25,000 in a year. The passport work, being on the Union List, was allocated to the Ministry of External Affairs. The Passport Control Manual was updated in 1949. The Indian Passports Rules 1950 superseded the Indian Passports Rules 1921.

24th June 1967 marked an important milestone in the history of passport issuance in India. It was on this day that the President gave assent to the Passports Act 1967. The Passports Act provided a robust legal framework for the issue of passports and travel documents and regulation of the departure from India of Indian citizens. It also provides for the machinery necessary for the purpose. In this context, the decision of the Supreme Court in Satwant Singh Sahwney vs. the Union of India in 1966 was a path-breaking judgment. Prior to this judgment, a passport was considered primarily as a document issued by the Government in its exercise of its executive powers to conduct foreign relations. The majority decision of the Supreme Court held that the right to travel abroad is a part of a person's personal liberty of which he could not be deprived except according to procedure established by law. It thus became necessary first to promulgate an Ordinance which was subsequently replaced by the Passports Act 1967.

In 1978, there were 9 Regional Passport Offices. The Regional Passport Office in Delhi covered, apart from Delhi, the states of Rajasthan and Jammu and Kashmir. By 1990, the number of Passport Offices went up to 22. This increased to 28 at the turn of the new millennium. The total number of passport holders in the country rose to about 1.8 crores. A new fast-track provision called Tatkaal Scheme was introduced to give passports in a time-bound manner against the backdrop of huge delays.

On the technological front, the computerization of Passport Offices began in the 1990s; Passport Information Services on Net (PISON) was introduced and the personalisation of machine readable passports commenced in 2001 in place of hand-written passports. The Ministry also decentralized the submission of passport applications by way of facilitating acceptance of passport applications through 463 District Passport Cells and 1095 Speed Post Centres across the country. The number of Passport Offices went up from 28 to 37 in a decade by the end of 2009 and has been increased to 38 now.

The Passport Seva Project (PSP) has been a watershed in the history of passport issuance in India with its successful implementation of the Public Private Partnership (PPP) mode. The entire process of citizen service delivery has been re-engineered, standardised and automated. Services are delivered through a country-wide networked environment - integrating all Passport Issuing Authorities, around 91 Passport Seva Kendras, as well as providing access to a number of external stakeholders viz. Immigration, Police, India Post, India Security Press and Embassies/ Consulates abroad.

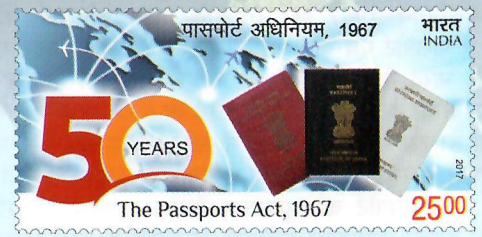
In order to extend passport services to our citizens on a larger scale and to ensure wider area coverage, the Ministry of External Affairs and the Department of Posts (DOP) have agreed to utilize the Head Post Offices in the country as Post Office Passport Seva Kendra (POPSK) for delivering passport related services to the citizens of our country. The pilot projects for this joint venture between MEA and DOP were inaugurated on 25 January, 2017 at Mysuru in Karnataka and at Dahod in Gujarat. Applicants, who apply for their passports online through the passport portal, can now schedule an appointment and then visit the designated POPSK to complete the formalities similar to those at the PSK necessary prior to the issue of the passport. It has been decided to set up 235 POPSK in two phases – 86 in Phase-I and 149 in Phase-II. 52 POPSK of Phase-I have been operationalized.

Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on the occasion of completion of 50 years of The Indian Passports Act, 1967.

Credits:-

Text	:	Based on the material received from proponent
Stamp / FDC/Brochure	:	Shri Brahm Prakash
Cancellation Cachet	:	Smt. Alka Sharma

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA



पासपोर्ट अधिनियम, 1967
The Passports Act, 1967

विवरणिका
BROCHURE

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के पचास वर्ष

पासपोर्ट, यात्रा को इंगित करता है। जब कोई विदेश में किसी जगह की यात्रा का स्वप्न देखता है तो उसके मस्तिष्क में नीले पासपोर्ट का चित्र कौंध जाता है। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ होने तक ऐसा नहीं था यद्यपि हमारे पूर्वजों ने सदियों से सुदूर एवं विस्तृत यात्राएं की थीं।

ब्रिटिश-भारतीय पासपोर्ट का उपयोग 1947 में भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात समाप्त कर दिया गया। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जारी किए जाने वाले पासपोर्टों की संख्या प्रतिवर्ष 25,000 के आसपास थी। संघ सूची में होने के कारण पासपोर्ट संबंधी कार्य विदेश मंत्रालय को आवंटित किया गया। 1949 में पासपोर्ट नियंत्रण मैनुअल को अद्यतित किया गया। भारतीय पासपोर्ट नियम 1950 ने भारतीय पासपोर्ट नियम 1921 का स्थान लिया।

भारत में पासपोर्ट जारी किये जाने के इतिहास में 24 जून, 1967 का दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी दिन राष्ट्रपति महोदय द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1967 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पासपोर्ट अधिनियम ने पासपोर्ट एवं यात्रा दस्तावेजों को जारी किये जाने एवं भारतीय नागरिकों के भारत से प्रस्थान संबंधी नियमन के लिये एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा प्रदान किया। साथ ही यह उक्त कार्य के लिये आवश्यक मशीनरी भी प्रदान करता है। इस संदर्भ में, 1966 में सतवंत सिंह साहनी बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पथ प्रवर्तक निर्णय दिया। इस निर्णय के पूर्व, पासपोर्ट को मुख्यतया वैदेशिक संबंधों के संचालन हेतु सरकार द्वारा इसकी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया एक दस्तावेज माना जाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया कि विदेश यात्रा का अधिकार एक व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हिस्सा है जिससे उसे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से, वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एक अध्यादेश लागू करना आवश्यक हो गया जिसका स्थान आगे चलकर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 द्वारा लिया गया।

1978 में 9 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय थे। दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत दिल्ली के अतिरिक्त राजस्थान एवं जम्मू और कश्मीर राज्य आते थे। 1990 तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या 22 तक पहुँच गई। नई शताब्दी के आते-आते यह संख्या 28 हो गई। देश में पासपोर्ट धारकों की संख्या बढ़कर 1.8 करोड़ तक हो गई। अत्यधिक विलम्ब को देखते हुए, पासपोर्ट को समयबद्ध तरीके से प्रदान करने हेतु एक फास्ट-ट्रैक व्यवस्था जिसे 'तत्काल योजना' कहा गया, लागू की गई।

तकनीकी मोर्चे पर, 1990 के दशक में पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण आरंभ किया गया। इंटरनेट पर पासपोर्ट जानकारी सेवा (पी. आई.एस.ओ.एन.) लागू की गई और वर्ष 2001 में हस्तलिखित पासपोर्टों के स्थान पर मशीन द्वारा पढे जा सकने योग्य पासपोर्ट बनाने की शुरुआत हुई। मंत्रालय द्वारा, देशभर में 463 जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों और 1095 स्पीड पोस्ट केन्द्रों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही पासपोर्ट आवेदन जमा करने को विकेन्द्रीकृत भी किया गया। 2009 के अंत तक एक दशक में पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या 28 से बढ़कर 37 हो गई जो अब बढ़कर 38 हो चुकी है।

पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट (पी.एस.पी.), इसके सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के साथ, भारत में पासपोर्ट जारी किये जाने के इतिहास में आमूल परिवर्तन रहा। नागरिक सेवा की पूरी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकीकृत, मानकीकृत और स्वचालित हो गई है। सेवाएँ, सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरणों एवं लगभग 91 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को एकीकृत करने के साथ साथ बाहरी हितधारकों, यथा- उत्प्रवासन, पुलिस, भारतीय डाक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, और विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों को पहुंच प्रदान करके एक देशव्यापी परस्पर जुड़े हुए तंत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं।

देशवासियों को बड़े पैमाने पर पासपोर्ट संबंधी सेवाएँ प्रदान करने और वृहत्तर क्षेत्र तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग (डी.ओ.पी.) ने देश के प्रधान डाकघरों को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के तौर पर प्रयोग करने का निश्चय किया है। विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के इस सामूहिक उपक्रम के लिए पायलट प्रोजेक्ट का उदघाटन 25 जनवरी 2017 को कर्नाटक के मैसूर एवं गुजरात के दाहोद में किया गया था। पासपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक अब मुलाक़ात का समय आरक्षित कर आगे की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए पासपोर्ट जारीकरण के पूर्व पासपोर्ट सेवा केंद्र में की जाने वाली औपचारिकताओं के लिये प्राधिकृत डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.ओ.पी.एस.के.) में जा सकते हैं। दो चरणों में 235 पी.ओ.पी.एस.के.; प्रथम चरण में 86 और द्वितीय चरण में 149 पी.ओ.पी. एस.के. खोले जाने का निश्चय किया गया है। प्रथम चरण के पी.ओ.पी. एस.के. में से 52 प्रचालित कर दिये गए हैं।

डाक विभाग पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के पचास वर्ष पूरे होने अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार:-

मूलपाठ	:	प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित
डाक टिकट/प्रथम दिवस आवरण/ विवरणिका	:	श्री ब्रह्म प्रकाश
विरूपण	:	श्रीमती अलका शर्मा

भारतीय डाक
India Post

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग Denomination	: :	2500 पैसा 2500 p
मुद्रित डाक टिकटें Stamps Printed	: :	5.0 लाख 0.5 million
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	: :	वेट ऑफसेट Wet Offset
मुद्रक Printer	: :	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00